2015 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 44 का संशोधन ।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 44 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:– धारा 44 का संशोधन।

"(4) राज्य सरकार, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसी नियत की जाएं, विश्वविद्यालय को प्रत्येक वर्ष ऐसे अनुदान दे सकेगी, जैसे राज्य विधान सभा द्वारा राज्य के बजट में विश्वविद्यालय के लिए उस वर्ष हेतु अनुमोदित हैं।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 44 विश्वविद्यालय के लिए निधियों और अनुदानों का उपबन्ध करती है। इस धारा की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विश्वविद्यालय को व्यपगत न होने वाला एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाना अपेक्षित है, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों, आकस्मिक व्यय, पूर्ति और अन्य सेवाओं के अनुमानित कुल व्ययों से कम नहीं होगा और विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं के अनुसार आवर्ती और अनावर्ती व्यय की ऐसी अतिरिक्त मदों को पूरा करने के लिए अनुदान में वार्षिक वृद्धि करना भी अपेक्षित है। यह पाया गया है कि विद्यमान उपबन्ध के दृष्टिगत, माननीय उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वित्तीय और पेन्शन सम्बन्धी प्रसुविधाओं के संदाय से सम्बन्धित विभिन्न लम्बित और विनिश्चित मामलों में राज्य सरकार पर वित्तीय दायित्व डाल दिया है। राज्य सरकार अपनी वित्तीय बाध्यताओं के बावजूद विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान कर रही है परन्तु राज्य की आय के सीमित साधनों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से समय–समय पर प्राप्त हुए वित्तीय अनुदानों के लिए प्रत्येक मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने के आशय से उक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 44 को तदनुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुजान सिंह पठानिया)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:
तारीख 2015

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

(सुजान सिंह पठानिया)
प्रभारी मन्त्री।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

44. निधियाँ और अनुदान.–(1) साधारण निधि.–विश्वविद्यालय की एक साधारण निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा की जाएंगीः–

(i) फीस, विन्यास, अनुदान और छात्रावास, प्रायोगिक स्टेशन और फार्मों सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों से आय;

(ii) अभिदाय या अनुदान जो सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर दिया जाएगा जैसी वह अधिरोपित करे;

(iii) अनुदान, संदान और उपकृति; और

(iv) अन्य प्राप्तियाँ ।

(2) प्रतिष्ठापन निधि :–

(i) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठापन निधि के नाम से एक निधि, राज्य सरकार द्वारा उस निधि में जमा करने के लिए अभिदायों और अनुदानों से और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य राशियों से जो उक्त निधि में जमा की जा सकें, गठित करेगा ।

(ii) प्रतिष्ठापन निधि का धन, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा।

(iii) विश्वविद्यालय, अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार या कानूनी निकाय और विन्यास से अनुदान या ऐसी शर्तों पर जैसी विश्वविद्यालय और अभिदाता या दाता के बीच तय हुई हों, दान लेने के लिए, सक्षम होगा ।

(3) निधियों का प्रबन्ध.—विश्वविद्यालय की साधारण निधि, प्रतिष्ठापन निधि और अन्य निधियों का प्रबन्ध ऐसे उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।

(4) सरकारी अनुदान.—निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय को व्यपगत न होने वाला निम्नलिखित रूप में एकमुश्त अनुदान देगी:—

(क) अनुदान जो कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों, आकस्मिक व्यय, पूर्ति और सेवाओं के अनुमानित कुल व्यय से कम न हो;

(ख) नई स्कीमों और प्रोग्रामों और कर्मचारिवृन्द को देय वेतनमान के पुनरीक्षण, वृद्धियों, मंहगाई और अन्य भत्तों में वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार आवर्ती और अनावर्ती व्यय की ऐसी अतिरिक्त मदों को पूरा करने के लिए अनुदान में वार्षिक वृद्धि।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 16 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 44.

Bill No. 16 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2015. Short title.

2. In section 44 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 44.

"(4) The State Government may, subject to such terms and conditions as may be fixed, make such grants to the University every year, as approved by the State Legislature in the State budget for that year for the University.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 44 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987) provides for funds and grants to the University. Under sub-section (4) of this section, the State Government, subject to availability of funds, is required to make non-lapsable lump-sum grants to the University not less than the estimated net expenditure of pay and allowances of the staff, contingencies, supplies and other services of the University and also to make annual increase in grant to meet such additional items of recurring and non-recurring expenditure as per requirements of the University. It has been observed that in view of the existing provision, the Hon'ble High Court has put the financial liability on the State Government in various pending and decided matters relating to payment of financial and pensionary benefits to the employees of the University. The State Government, despite its financial constraints, is making grants to the University, but it is not possible in view of its limited resources to fulfill each and every demand for financial grants received from the University from time to time. Thus, in order to make the University self sustainable, it has been considered necessary to make suitable amendments in the said Act. As such, it has been decided to amend section 44 of the Act ibid accordingly.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUJAN SINGH PATHANIA)
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The , 2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987).

(SUJAN SINGH PATHANIA)
Minister-in-charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Secretary (Law).

SHIMLA:
The , 2015.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY ACT,1986 (ACT NO. 4 OF 1987) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

SECTION:

44. Funds and grants —(1) General Fund—The University shall have a General Fund to which shall be credited—

(i) income from fees, endowments, grants and from properties of the University including hostels, experimental stations and farms;

(ii) contribution or grants which shall be made by the Government on such conditions as it may impose;

(iii) grants, donations and benefactions; and

(iv) other receipts.

(2) Foundation Fund—

(i) The University shall form a fund called the Foundation Fund from contribution and grants made by the State Government for being credited to that fund and such other sums from the University which may be credited to the said fund;

(ii) The money in the Foundation Fund shall be invested in the securities mentioned or referred to in clauses (a) to (d) of section 20 of the Indian Trust Act, 1882;

(iii) it shall be competent for the University in furtherance of its objectives, to accept grants from any State Government or statutory body and endowments or donations under such conditions as may be agreed upon between the University and the grantor or donor.

(3) Management of funds.—The General Fund, Foundation Fund and other funds of the University shall be managed according to such provisions as may be laid down by the Statutes.

(4) Government Grants.— Subject to availability of Funds, the State Government shall every year make non-lapsable lump sum grants to the University as follows :—

(a) A grant not less than the estimated net expenditure of pay and allowances of the staff, contingencies, supplies and services of the University; and

(b) An annual increase in grant to meet such additional items of expenditure, recurring and non-recurring, as per requirements of the University, on account of new schemes and programmes, revision of pay scales, increments, increase in dearness and other allowances payable to the staff.

मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला–529–जुड / 2015–21–8–2015––250.